

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या 12/09/2025

रजि० नं० 2025/

प्रवेश तिथि 25.08.2025

अपीलार्थी :-	प्रत्यर्थी :-
विनोद कुमार a-21, sf, slf ved vihar (ankur vihar) Ioni Ghaziabad U.P. 201102	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

## अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—: निर्णय :- दिनांक 15.09.2025

1- अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) को प्रथम ऑनलाईन आवेदन पत्र 448281856245817 दिनांक 25.12.2024 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।

2- अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

3- अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) से जरिये नोटिस क्रमांक 1310-11 दिनांक 01.09.2025 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 08.09.2025 को उपस्थित आवें। नियत तिथी को अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ।

4-राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) ने जर्गे पत्राक आरटीआई/अपील/2024/204-05 दिनांक 08.09.2025 के द्वारा संबंधित विभाग से रिपोर्ट प्राप्त कर भिजवायी गयी है, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है, कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 24.05.2025 में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार जवाब अपीलार्थी को भिजवाया जा चुका है। उक्त क्रम में विधिक प्रावधानों की पालना की गयी है। कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है।

5-पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) द्वारा समुचित जवाब प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है, अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

6-अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित-प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जाये। पत्रावली फौसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।

7-आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शिवपाल जाट)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
खैरथल-तिजारा (राज०)